रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102026-277372
CG-DL-E-23102026-277372

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2026/आश्विन 30, 1948
No. 324] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2026/ASVINA 30, 1948

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2026

सं. 33 /2026-27

विषय: भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (इंडिया-न्यूज़ीलैंड एफटीए) के अंतर्गत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) को शामिल करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 2.92 और परिशिष्ट 2क के तहत संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/93/180/05/एएम-22/पीसी-2(बी).— विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेश व्यापार महानिदेशालय एतदद्वारा भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (इंडिया-न्यूज़ीलैंड एफटीए) के अंतर्गत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) हेतु उल्लिखित मदों और संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए प्रक्रिया पुस्तक, 2023 के पैरा 2.92 और परिशिष्ट 2क में संशोधन करता हैं, जो निम्नानुसार है –

1. भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत निम्नलिखित आयात टीआरक्यू को शामिल करने के लिए एचबीपी के पैरा 2.92 में संशोधन किया जाता है, जो दिनांक 20.10.2026 से प्रभावी है:

एएस कोड	मद	कोटे के तहत शर्तें - लागू शुल्क	वार्षिक टीआरक्यू मात्रा (एमटी)	कोटा विंडो
0808.10.00	**सेब**	सीआइएफ ≥ अमरीकी डॉलर 1.25/कि.ग्रा - 25%	वर्ष 1 - शून्य वर्ष 2 - 35,000 वर्ष 3 - 37,500 वर्ष 4 - 40,000 वर्ष 5 - 42,500 वर्ष 6 (से आगे) - 45,000	1 अप्रैल - 31 अगस्त, प्रति वर्ष
0810.50.00	**कीवी फल**	सीआइएफ ≥ अमरीकी डॉलर 1.80/कि.ग्रा - 0%	वर्ष 1 - शून्य वर्ष 2 - 8,000 वर्ष 3 - 9,750 वर्ष 4 - 11,500 वर्ष 5 - 13,250 वर्ष 6 (से आगे) - 15,000	1 अप्रैल - 15 अक्तूबर प्रति वर्ष
3502.11.00 3502.19.00 3502.20.00 3502.90.00	**एल्बुमिन्स**	11%	वर्ष 1 - 200 वर्ष 2 - 1,500 वर्ष 3 - 2,000 वर्ष 4 - 2,500 वर्ष 5 (से आगे - 3,000	वर्ष भर
एक्सिम 0409.00.00 (एनजेड एमपीआई-प्रमाणित मनुका शहद)	**मनुका शहद**	सीआइएफ ≥ अमरीकी डॉलर 20 < अमरीकी डॉलर 30/कि.ग्रा	वर्ष 1 - 40 वर्ष 2 (से आगे) - 200	वर्ष भर

2. न्यूज़ीलैंड, संबंधित टीआरक्यू के तहत कुलसम्मत कोटे के भीतर, निर्यातकों या उत्पादकों को वस्तु का स्पष्ट विवरण, अनुमत मात्रा और नामित भारतीय आयातक की जानकारी वाले निर्यात प्रमाण-पत्र जारी करके टीआरक्यू आवंटित करेगा।

3. न्यूज़ीलैंड में निर्यात प्रमाणपत्रों के लिए सक्षम प्राधिकारी, त्रैमासिक आधार पर (या अन्यथा आपसी सहमति से) डीजीएफटी को विवरण प्रस्तुत करेगा।

4. न्यूजीलैंड पक्ष से ऐसे विवरण प्राप्त होने पर, टीआरक्यू प्राधिकार पत्र बिना किसी देरी के, यथाशीघ्र जारी कर दिया जाएगा। भारतीय आयातक, न्यूजीलैंड के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपलोड किए गए निर्यात प्रमाण-पत्र/आवंटन का अनिवार्यतः उल्लेख करते हुए डीजीएफटी की वेबसाइट (https://dgft.gov.in) → सर्विसेज → इम्पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम → टैरिफ रेट कोटा (टीआरक्यू) → 'अप्लाई फॉर टीआरक्यू' पर जाकर टीआरक्यू प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।

5. डीजीएफटी द्वारा जारी टीआरक्यू प्राधिकार पत्र में आयातक का नाम और पता, आयातक-निर्यातक कोड (आइईसी), सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या, प्रशुल्क मद, लागू सीआइएफ/एमआइपी स्लैब (जहाँ लागू हो), टीआरक्यू की मात्रा और उसकी वैधता अवधि शामिल होगी।

6. समझौते के अनुलग्नक 2क, खंड ग, पैरा 7 के तहत निगरानी के उद्देश्य से टीआरक्यू आवेदन में यह दर्ज किया जाएगा कि आयातक एक सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के रूप में पंजीकृत है अथवा नहीं।

7. टीआरक्यू प्राधिकार पत्र विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाएगा और इसे भारतीय सीमा शुल्क ईडीआइ प्रणाली (आइसीईएस) में भेज दिया जाएगा।

8. टीआरक्यू के तहत आयात की अनुमति केवल आइसीईएस प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेबिट करने पर ही दी जाएगी।

9. इन टीआरक्यू आयातों के लिए "वर्ष" को भारत-न्यूजीलैंड एफटीए के अनुलग्नक 2क के तहत परिभाषित किया जाएगा: वर्ष 1 के लिए, यह अवधि 'लागू होने की तिथि' से 31.12.2026 तक होगी; और उसके बाद के प्रत्येक वर्ष के लिए, यह 01 जनवरी से शुरू होने वाली बारह महीने की अवधि होगी।

10. किसी दिए गए वर्ष में टीआरक्यू प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि नहीं होगी। डीजीएफटी जारी किए गए टीआरक्यू प्राधिकार पत्र की कुल मात्रा की निगरानी करेगा। एक बार लागू टीआरक्यू मात्रा सीमा पूरी हो जाने के बाद, कोई और टीआरक्यू प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

11. टीआरक्यू प्राधिकार पत्र केवल उसी कोटा वर्ष के लिए मान्य होगा जिसमें इसे जारी किया गया है, और इसके तहत आयात की अनुमति केवल पैरा 1 में निर्दिष्ट कोटा विंडो के भीतर ही दी जाएगी (जहाँ लागू हो)। प्राधिकार पत्र की अवधि पूर्ण होने पर टीआरक्यू की अप्रयुक्त मात्रा समाप्त हो जाएगी।

12. आयात, भारत-न्यूजीलैंड एफटीए से संबंधित वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 32/2026-सीमा शुल्क दिनांक 16 अक्टूबर, 2026 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन होंगे।

13. भारत-न्यूजीलैंड एफटीए के अंतर्गत टीआरक्यू के तहत आयात के लिए आवेदन की प्रक्रिया, जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रक्रिया-पुस्तक, 2023' के परिशिष्ट 2क के अनुलग्नक में शामिल की जाएगी।

<u>**इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:**</u> भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (इंडिया-न्यूज़ीलैंड एफटीए) के अंतर्गत प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के आवंटन की प्रक्रिया को एतद्वारा अधिसूचित किया गया है।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 17th October, 2026

No. 33 /2026-27

Subject: Amendment under Para 2.92 and Appendix 2A of the Handbook of Procedures, 2023 for inclusion of Tariff Rate Quotas (TRQs) under the India–New Zealand Free Trade Agreement (Ind-NZ FTA)-reg.

F. No. 01/93/180/05/AM-22/PC-2[B].— In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Directorate General of Foreign Trade hereby amends Para 2.92 and Appendix 2A of the Handbook of Procedures, 2023 to incorporate the items mentioned and related provisions for Tariff Rate Quota (TRQ) under the India–New Zealand Free Trade Agreement (Ind-NZ FTA), as follows —

1. Para 2.92 of the HBP is amended to include the following Import TRQs under the India- New Zealand Free Trade Agreement, with effect from 20.10.2026:

HS Code	Item	In-Quota Conditions - Applicable duty	Annual TRQ Qty (MT)	Quota Window
0808.10.00	**Apples**	CIF ≥ US$1.25/kg - 25%	Year 1 - NIL Year 2 - 35,000 Year 3 - 37,500 Year 4 - 40,000 Year 5 - 42,500 Year 6 (Onwards) - 45,000	1 April – 31 August, annually
0810.50.00	**Kiwifruit**	CIF ≥ US$1.80/kg - 0%	Year 1 - NIL Year 2 - 8,000 Year 3 - 9,750 Year 4 - 11,500 Year 5 - 13,250 Year 6 (Onwards) - 15,000	1 April – 15 October, annually
3502.11.00 3502.19.00 3502.20.00 3502.90.00	**Albumins**	11%	Year 1 - 200 Year 2 - 1,500 Year 3 - 2,000 Year 4 - 2,500 Year 5 (onwards) - 3,000	Year-round
ex 0409.00.00 (NZ MPI-certified Mānuka Honey)	**Mānuka Honey**	CIF ≥ US$20 < US$30/kg	Year 1 - 40 Year 2 (onwards) - 200	Year-round

2. New Zealand shall allocate TRQs to exporters or producers by issuing export certificates containing clear details of the item, permitted quantity and the designated Indian importer, within the overall quota agreed under the respective TRQ.

3. The competent authority for export certificates in New Zealand shall, on a quarterly basis (or as otherwise mutually agreed), communicate the details to DGFT

4. On receipt of such details from the New Zealand side, the TRQ Authorisation shall be issued without delay, as soon as possible. The Indian Importer may file an application for TRQ Authorisation on the DGFT Website (https://dgft.gov.in) → Services → Import Management System → Tariff Rate Quota (TRQ) → 'Apply for TRQ', mandatorily referencing the export certificate/allocation uploaded by the New Zealand competent authority.

5. The TRQ Authorisation issued by DGFT shall contain the name and address of the importer, Importer-Exporter Code (IEC), Customs Notification number, tariff item, applicable CIF/MIP slab (where applicable), quantity and validity period of the TRQ.

6. The TRQ application shall capture whether the importer is registered as a Micro, Small or Medium Enterprise (MSME), for the purpose of monitoring under Annex 2A, Section C, Paragraph 7 of the Agreement.

7. The TRQ Authorisation shall be issued electronically by the Directorate General of Foreign Trade and transmitted to the Indian Customs EDI System (ICES).

8. Imports against the TRQ shall be allowed only upon debiting electronically in the ICES system.

9. The "year" for these TRQ imports shall be as defined under Annex 2A of the Ind-NZ FTA: for Year 1, the period from the date of Entry into Force to 31.12.2026; for each subsequent year, the twelve-month period commencing 01st January.

10. There shall be no end date for applying for a TRQ Authorisation within a given year. DGFT shall monitor the cumulative quantities of TRQ Authorisations issued. No further TRQ Authorisation shall be issued once the applicable TRQ quantity limit is reached.

11. A TRQ Authorisation shall be valid only for the quota year in which it is issued, and imports against it shall be permitted only within the quota window specified in Para 1 (where applicable). Any unutilised quantity shall lapse on expiry of the authorisation.

12. Imports would be subject to the relevant Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification No. 32/2026-Customs dated 16th October, 2026, relating to the Ind-NZ FTA (as amended from time to time).

13. Procedure for application for imports under TRQ under the Ind-NZ FTA, as enumerated above, shall be inserted under the Annexure of Appendix 2A of the Handbook of Procedures, 2023.

Effect of this Public Notice: The procedure for allocation of Tariff Rate Quotas (TRQ) under the India–New Zealand Free Trade Agreement (Ind-NZ FTA) is hereby notified.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.10.23 21:39:19 +05'30'